पुलिस विज्ञान

(त्रैमासिक पत्रिका)

जनवरी-मार्च, 2010

सलाहकार समिति

प्रसून मुखर्जी

महानिदेशक

शेषपाल वैद

निदेशक (एस.पी.)

संपादक : **दिवाकर शर्मा**

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

ब्लाक-11, 3 एवं 4 मंजिल

सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

वर्ष - 27 अंक 110 जनवरी-मार्च, 2010

अनुक्रम

मौके-वारदात का पुलिस अन्वेषण में महत्व
• *उमेश कुमार सिंह* 7

पुलिस : अवधारणात्मक परिप्रेक्ष्य एवं ऐतिहासिक उद्‌विकास
• *डा. आभा सक्सेना* 16

लालगढ़ में सुरक्षा अभियान एवं माओवाद की विवेचना
• *राकेश कुमार सिंह* 20

"राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग—विवेचनात्मक अध्ययन"
• *मीना मल्होत्रा* 26

"रैगिंग" समाज का नासूर
• *राजेन्द्र मोहन शर्मा* 31

अपराध अन्वेषण में पुलिस की भूमिका
• *डा. अखिलेश शुक्ल* 35

पुलिस का क्रमिक विकास
• *मुकेश कुमार* 41

वैश्वीकरण का खौफनाक चेहरा और पुलिस की भूमिका
• *डा. विमला उपाध्याय* 52

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम. ज़ैड. खान, नई दिल्ली
प्रो. एस.पी.श्रीवास्तव, लखनऊ
श्री एस.वी.एम त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. बलराज चौहान, भोपाल
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर, (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
डा. दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री एस.पी. सिंह पुंडीर, लखनऊ
श्री पी. डी. वर्मा, छत्तीसगढ़
श्री वी.वी.सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

कवर डिजायन : राहुल कुमार

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : रचना इंटरप्राइजिज, वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

मौके-वारदात का पुलिस अन्वेषण में महत्व

उमेश कुमार सिंह

(से.नि., पुलिस महानिरीक्षक, बिहार।)

दिनकर पथ, हसनपुरा रोड,

न्यू महावीर कालोनी, बेडर, पटना-2

मौके-वारदात वह स्थल या स्थलों का समूह है, जहां कोई अपराध घटित हुआ है, अथवा अपराध होने के प्रतिफल का कोई साक्ष्य उस स्थान पर पुलिस पदाधिकारी के संज्ञान में सर्वप्रथम आया हो। वह किसी घर, दुकान, वर्कशाप, होटल, रेलवे-लाइन, नदी, नाला, सड़क, खेत, जंगल, पहाड़, समुद्र, ट्रेन, बस, या अन्य गाड़ियां, वायुयान, नाव या जहाज आदि कहीं भी हो सकता है। सामान्यतः घटनास्थल एक ही स्थान पर होता है, किंतु कुछ मामले में वह कई जगहों पर भी हो सकता है।

घटनास्थल पर अपराधी हमेशा अपनी छाप एवं साक्ष्य छोड़ जाता है। घटनास्थल ने कभी किसी अंवेषक को निराश नहीं किया है। यही वह स्थल है, जहां से अपराध और अपराधी के सूत्र प्राप्त किए जाते हैं। घटनास्थल को सुरक्षित रखने में पुलिस की तत्परता, सूक्ष्म निरीक्षण एवं बुद्धिमतापूर्ण आन्वेषिक विवेचना सर्वाधिक महत्व का होता है। अच्छे अनुसंधानकर्ता के पास आरंभण, धीरज तथा अत्यधिक शारीरिक एवं स्नायविक क्षमताएं होती हैं। वह सजग, दृष्टिशील तथा जानकारी के लिए उत्सुक रहता है। उसकी स्मरणशक्ति तेज होती है तथा वह त्रुटिपूर्ण तर्क को समझने की क्षमता में संपन्न होता है। उसे व्यक्तियों की व्यावहारिक जानकारी होती है। वह उत्प्रेरक होता है तथा जिनके साथ उसका व्यवहार या संबंध प्रत्यक्ष होता है, उन्हें वह विश्वास में लेता है। उसके परिचितों एवं सूचना स्रोतों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन गुणों को परिमापित करने के लिए भविष्य में परीक्षण व्यवस्था ढूंढ़नी होगी। सर्वाधिक सुयोग्य अनुसंधानकर्ताओं के चयन के लिए आज की मात्र जानकारी जाननेवाली लिखित परीक्षाएं उपयुक्त नहीं हैं। गिरफ्तारी, ढूंढी गई संपत्ति, अनुसंधानोपरांत सही अभियुक्तों का दंडन आदि से अनुसंधानकर्ता के कार्यकरण का मूल्यांकन हो सकता है। अनुसंधानात्मक दायित्वों में विशेषज्ञता आवश्यक होती है। इससे पदाधिकारियों की विशेष अभिरुचियों एवं योग्यताओं के अनुरूप कार्य दिए जा सकते हैं। इससे विशिष्ट प्रकृति के अपराधों के अन्वेषण में उन्हें विशेषज्ञता हासिल होगी तथा खास-खास प्रकार के अपराध करनेवाले दुष्कर्मियों के बारे में सूचना मिलेगी। ऐसे दुष्कर्मियों के प्रचालनात्मक तौर-तरीकों, उनके सहयोगियों, छिपने के ठिकानों एवं लुटी संपत्ति के निष्पादन की विधियों की जानकारी प्राप्त होगी। विशेषज्ञता से उत्तरदायित्व निर्वाह करने में भी सुविधा होगी। घटनास्थल के महत्व को सुयोग्य अनुसंधानकर्त्ता ही समझ सकते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक को अनुसंधान के महत्व को समझाते हुए जिल के सभी अनुसंधानकर्त्ताओं को अनुसंधान की बारीकियों की याद दिलाते रहना तथा घटनास्थल के अत्यधिक महत्वपूर्ण संवदेनशीलता से उन्हें सदैव परिचित करते रहना आपराधिक न्याय शास्त्र के मौलिक हित में है।

मौके-वारदात का महत्व

अपराध अन्वेषण में अपराध घटनास्थल की जांच का विशेष महत्व है। अधिकांश मामलों में अन्वेषक की सफलता या विफलता इस जांच पर ही निर्भर करती है, क्योंकि अपराध की जांच का आधार घटनास्थल से ही आरंभ होता है। घटनास्थल वास्तविक है या बनावटी इस बात का पता भी घटनास्थल की जांच से ही चलता है। घटनास्थल पर ही अपराधी, मृतक, उत्पीड़ित तथा अस्त्र-शस्त्र आदि का संपर्क होता है, इसीलिए घटनास्थल पर

में संहिता के अध्याय 12 के अधीन मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के बिना अन्वेषण करने का कानूनी अधिकार है और इसमें मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 401 अथवा 482 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किन्तु न्यायालय को अन्वेषण के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी की प्रतिकूल राय के होते हुए भी अपराध में संज्ञान लेकर विचारण का पूर्ण अधिकार है।

(19) सम्मन (वारण्ट) मामलों में अन्वेषण : दं.प्र.सं. की धारा 167 (5) में यह प्रावधान किया गया है कि सम्मन मामलों की तरह विचारणीय मामलों में अभियुक्त के विरुद्ध अन्वेषण जहां तक संभव हो, 6 माह की अवधि के अन्दर पूरा कर लेना चाहिए। किन्तु यदि पुलिस अन्वेषण पूर्ण नहीं कर पाती तो उसे मजिस्ट्रेट से 6 माह की अवधि व्यतीत होने के पूर्व आगे अन्वेषण करने की अनुमति लेनी चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट अन्वेषण बन्द करने का आदेश देता है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायाधीश को आवेदन किया जा सकता है। यदि सेशन न्यायाधीश यह समझता है कि अन्वेषण की अवधि बढ़ाना उचित है तो वह पुलिस अधिकारी को आगे अन्वेषण का आदेश दे सकता है। वह ऐसे आदेश के साथ कुछ और शर्त, जैसा वह उचित समझे, लगा सकता है, जैसे जमानत पर छोड़ना या अन्वेषण की समय अवधि निश्चित करना आदि।

(20) अन्वेषण के दौरान साक्ष्य का स्वरूप और उसका महत्व : अन्वेषणकर्त्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में अभियुक्त जो भी बयान देता है, वह दं.प्र.सं. की धारा 162 के अधीन अग्राह्य है। उसका न तो अभियोजन पक्ष और न ही अभियुक्त कोई लाभ उठा सकता है।

(21) अन्वेषण में अभिखण्डन : गोविन्द गुप्ता बनाम् राज्य, 1983 आदि के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निम्न परिस्थितियों में अन्वेषण का अभिखण्डन किया जा सकता है—

- जब किसी कार्रवाई को संस्थित अथवा जारी रखने के लिए कोई कानूनी वर्जन हो, जैसे अपेक्षित मंजूरी का अभाव,
- जब प्रथम सूचना अथवा परिवाद को सही मान लेने पर भी किसी अपराध का किया जाना प्रकट न होता हो,
- जब किसी अपराध का किया जाना तो प्रतीत होता हो, किन्तु उसके समर्थन में कोई कानूनी साक्ष्य न हो।

(22) न्यायालय द्वारा अन्वेषण का आदेश देने की अधिकारिता : किसी मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482, दं.प्र.सं. के अधीन सी.बी.आई., सी.आई.डी. को अन्वेषण का आदेश दिया जा सकता है। रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मानव हत्या के मामले में जब स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष एवं निर्विवाद अन्वेषण संदिग्ध हो तब उच्च न्यायालय सी.बी.आई. द्वारा अन्वेषण का निर्देश दे सकता है एवं उचित मामलों में भी उच्च न्यायालय सी.आई.डी. द्वारा अन्वेषण का आदेश दे सकता है।

संदर्भ

(1) त्यागी, सुरेन्द्र प्रकाश, कोड आफ क्रमिनिल प्रोडूसर 1973, आलिया लॉ एजेन्सी इलाहाबाद 1997 वोल्यूम I, II एंड III (2) शर्मा, जे.डी., सांटिफिक एनवेस्टीगेशन आफ क्राईम, एम.पी. हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल 1994 (3) डा. एस. अभिलेश, पुलिस साईस गायत्री पब्लिकेशन, रिवा, 2006(4) डा. एस. अभिलेश पुलिस प्रोड्यूसर गायत्री पब्लिकेशन, रिवा, 2006 (5) डा. एस. अभिलेश पुलिस लॉ गायत्री पब्लिकेशन, रिवा, 2009 (6) डा. एस. अखिलेश एंड डा. गायत्री शुक्ल, क्राईम इन्वेस्टीगेशन, गायत्री पब्लिकेशन, रिवा, 2006 (7) दुबे ए.के. ऐवीडेंस एक्ट, 1872, सेंटरल लॉ एजेंसी इलाहाबाद।

❑

किया तथा इसके बाद ग्रामीण भागों की ओर अपना ध्यान लगाया। उसका यह मानना था कि कंपनी शासन तथा लोगों के हित एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए लोगों के हितों की रक्षा करना तथा लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करना सरकार के लिए स्थिरता और स्थायित्व के नजरिए से अति-आवश्यक है। उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के हाथों से पुलिस के अधिकारों को छीन लिया तथा सन् 1793 में आदेश दिया कि जिला न्यायाधीश प्रत्येक चार सौ मील के लिए एक पुलिस स्टेशन खोलें तथा वहां एक नियमित पुलिस स्टेशन अधिकारी नियुक्त करें। वह अधिकारी दरोगा के नाम से जाना जाता था। कस्बों में पुलिस प्रभारी कोतवाल ही रहा।

दुःख की बात है कि लार्ड कार्नवालिस के पास न तो ब्रिटेन में और न ही विदेश में पुलिस व्यवस्था के लिए कोई आदर्श था। यहां तक कि पांच दशक बाद, यानि 1839 में, इंग्लैंड के पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इंग्लैंड पुलिस की एक उदासीन परिस्थिति को चित्रित किया। सर रोबर्ट मील के सुधारों से पहले इंग्लैंड में भी पुलिस प्रशासन लगभग उतनी ही आलोचना का पात्र था, जितना की भारत में। इस स्थिति का सामना करने के लिए, सर राबर्ट पील ने 1829 में विशेष संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा लंदन में मैट्रोपोलिटन पुलिस फोर्स को लागू किया।

लार्ड कार्नवालिस ने 1792 में, 'जमींदारी और थानेदारी' पद्धति को समाप्त कर एक समान पद्धति पहली बार लागू की थी तथा बंगाल में जिला मजिस्ट्रेट के अधीन एक पृथक पुलिस बल का गठन किया। जिले पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में बांट दिए गए और प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए एक मोहरिर, एक जमादार और दस बरकंदाजों के कार्मिक बल सहित दरोगा की नियुक्ति की गई। बाद में तीन पुलिस सुधार समितियों ने इस योजना का विश्लेषण किया। इन सभी समितियों ने राय दी कि ग्राम पुलिस को और अधिक अधिकार तथा जिम्मेदारियां दी जाए। जिला कलेक्टर को राजस्व कर्तव्यों के अतिरिक्त, पुलिस संगठन का प्रशासनिक प्रमुख बनाया गया। जिन क्षेत्रों के लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, उन्हें छोड़कर अन्य भागों में भारत में यह व्यवस्था आज भी कायम है।

सन् 1808 में सरकार ने बंगाल में कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद संभागों में एक नए प्रमुख, जिसे पुलिस अधीक्षक का पदनाम दिया गया, के माध्यम से पुलिस प्रशासन पर विशेष तथा प्रभावी नियंत्रण लागू किया। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य दशकों में कलकत्ता में पुलिस व्यवस्था को और अधिक युक्तियुक्त तथा संस्थागत बनाया गया। मिलीयम कोट्स ब्लेक्यूरेर, एक चमत्कारी शहर दण्डाधिकारी, ने जासूस या गोयंदास नेटवर्क की शुरूआत की। सन् 1845 में जे.एच. पैटन की अध्यक्षता में एक समिति ने लंदन मैट्रोपोलिटन पुलिस को आदर्श मानते हुए पुलिस संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए। पुलिस आयुक्त की नियुक्ति की गई, जिसे कानून-व्यवस्था को बनाए रखने, अपराधों को हल करने तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए शांति न्यायाधीश के अधिकार दिए गए।

बंबई (मुम्बई) शहर में पुर्तगालियों द्वारा सन् 1661 में एक पुलिस चौकी की स्थापना के साथ ही पुलिस व्यवस्था की शुरूआत हुई। गैरल एन्जियर, जो सन् 1669 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुंबई का अधिग्रहण करने के पश्चात् शहर का प्रथम गवर्नर बना, को मुंबई शहर के वर्तमान पुलिस बल का संस्थापक माना जाता है। उसने भण्डारी मिलिशिया को सूबेदारों के साथ संगठित किया और उनके मुख्यालय माहिम, शिवड़ी और सायन में स्थापित किए। सन् 1779 में जेम्स टोर्ड की पुलिस लेफ्टिनेण्ट के रूप में नियुक्ति हुई। मार्च, 1780 में पुलिस लेफ्टिनेण्ट का पद समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर डिप्टी पुलिस का कार्यालय शुरू किया गया। तदुपरांत इस पद का रूपांतर 'पुलिस डिप्टी एवं